

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जोधपुर/एफ.01493/Rajkajref:-

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10. 2017 व 9.12.2017 एवं एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के श्री पंकज कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.02.1999 है को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 08.02.2026 से पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में एमएसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-जोधपुर/एफ.01493/Rajkajref:-
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें।
4. श्री पंकज कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर